न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–695/2017

मंगला पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी–ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. छोटू राम पुत्र झूथा राम
2. भैरू राम पुत्र धन्ना राम समस्त जाति अहीर निवासी–ग्राम जांहोता तहसील आमेर जिला जयपुर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागण:

1– श्री बंशीधर जाट ,अपीलांट की ओर से

2– श्री बी0 एल0 शर्मा रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–20–12–2017

1– यह अपील निर्णय दिनांक 08–06–2017 उनवानी छोटू राम बनाम मंगला द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 आर. टी.एक्ट. 1955 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस सख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलान्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1112 प्रार्थी सख्या 2 के नाम तथा खसरा नम्बर 1111 प्रार्थी सख्या 1 की खातेदारी में स्थित हैं उक्त भूमि अन्य खातेदारों से मनबंट बंटवारे में प्रार्थीगण के हिस्से में आई हैं।प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 1105 व 1106 जो कि अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित है में से पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 1111 व 1112 तक रास्ता होना कथन करते हुए उक्त रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

विधिवत चाहा गया।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–6–2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1105 व 1106 में से रास्ता स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा विधिवत तामील करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है न्यायालय द्वारा अपर्याप्त तामील को तामील मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जो कि अनुचित हैं। प्रकरण में तहसीलदार आमेर द्वारा कोई जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई हैं जबकि भू0 अभिलेख निरीक्षक के नीचे के पद के कर्मचारी से जॉच रिपोर्ट तैयार नहीं करवाई जा सकती हैं।तहसीलदार द्वारा जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की गई है वह राजस्व रिकार्ड के विपरीत हैं।न्यायालय द्वारा बिना राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये ही कैंप कोर्ट जाहोता में पत्रावली को रखा जाकर निर्णित किया गया हैं जब कि उस दिन पटवार व तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं था। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र में स्वयं उल्लेख किया है कि खसरा नम्बर 1105 व 1106 की पश्चिमी सीमा से रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है इसलिये प्रकरण में धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पोषणिय नहीं हैं। अपीलान्ट् को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। आवेदन में खसरा नम्बर 1108/2370 का भी उल्लेख है परन्तु इसके खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रकरण को दिनांक 8–6–2017 को लोक अदालत केंप कोर्ट जाहोता में सुनवाई हेतु नियत किया गया हैं परन्तु अपीलान्ट को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन निर्णय जिस प्रस्ताव के तहत किया गया है उस स्थान पर किसी प्रकार का रास्ता न तो कभी चालु था न ही आज दिनांक को चालु हैं। प्रार्थीगण के पास कृषि भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से ही दक्षिणी दिशा से रास्ता चालु हैं। खसरा नम्बर 1105 में जो रास्ता दिया गया है उससे भूमि की चौडाई पूर्व से पश्चिम बहुत छोटी हो जावेगी जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

खेत में बुवाई संभव नहीं हो पायेगी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने में अहम कानूनी भूल की हैं तथा अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4–अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी पत्रावली में आदेशिका दिनांक 9–6–20016 को अंकित किया है कि अप्रार्थी उपस्थित नहीं हैं जबकि उक्त दिवस का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। न्यायालय द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु कोई पत्र जारी नहीं किया गया हैं तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा कैंप के दिन तैयार की गई हैं जो कि सक्षम नहीं हैं। प्रकरण 251 ए का नहीं हैं क्योंकि स्वयं प्रार्थीगण स्वीकार करते है कि रास्ता चालु हैं। प्रार्थीगण के अलावा भी खसरा नम्बर 1111 व 1112 के खातेदार अन्य व्यक्ति भी हैं जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं इसलिये अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आरआरटी 1088 प्रस्तुत किया गया हैं।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 4–3–2016 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा दिनांक 8–3–2016 को नोटिस जारी किये गये हैं। नोटिस की तामील विधिवत अपीलान्ट को हुई हैं। वैकल्पिक रास्ता उपलबध नहीं होना रिपोर्ट से स्पष्ट हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलधीन निर्णय न्यायोचित रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में मुख्य आपत्ति यह ली गई है कि प्रकरण में उन्हें समुचित तामील नहीं करवाई गई हैं। इस के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के नोटिस लेने से मना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

करने पर दो गवाहान के समक्ष नोटिस की एक प्रति उसके खुले मकान पर चस्पा की गई हैं जो कि पर्याप्त तामील की श्रेणी में आती हैं।प्रकरण में राजस्व लोक अदालत कैंप दिनांक 08–06–2017 को कैंप स्थल में तहसीलदार आमेर द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं।अपीलार्थी ग्राम जाहोता के ही निवासी हैं तथा राजस्व लोक अदालत कैंप भी जाहोता में ही रखा गया जिससे यह स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं कि उन्हें कैंप की जानकारी नहीं रही हो। अपीलान्ट द्वारा ली गई यह आपत्ति कि मौके पर रास्ता चालु होने का कथन प्रार्थीगण द्वारा किया जाने से यह प्रकरण 251 क की परिधि में नही आता हैं, उचित नहीं है क्योंकि इस प्रावधान के अन्तर्गत मौजूदा रास्ते को चौडा करवाये जाने का प्रावधान भी हैं। इसके विपरित अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में स्वयं उल्लेख किया है कि मौके पर कोई रास्ता चालु नहीं है। अतः अपीलान्ट की यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा यह भी आपत्ति ली गई है कि प्रकरण में जॉच रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई हैं जो कि सक्षम नहीं हैं। इसके संबंध में उल्लेखनीय है कि जॉच रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी द्वारा कैंप के दौरान मंगवाई गई हैं तथा स्वयं द्वारा जॉच रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया हैं।अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शे के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 1111 व 1112 में आने जाने के लिए जो रास्ता खसरा नम्बर 1105 व 1106 में से प्रस्तावित किया गया है वह उचित हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते में आने वाली 360 वर्गमीटर भूमि के लिए डी0एल0 सी0 दर की दुगुनी राशि के बराबर प्रतिकर दिये जाने का आदेश भी प्रदान किया गया हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की सारभूत विधिक त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता हैं तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अपीलार्थी की अपील उपर्युक्त विवेचन से स्वीकार योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–06–2017 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 20–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर